राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग,जयपुर

आदेशिका

परिवाद संख्या– 21/03/3966 दिनांक–03.09.2021

एकलपीठ

समक्षः– माननीय अध्यक्ष न्यायाधिपति श्री गोपाल कृष्ण व्यास

आज दिनांक 03.09.2021 को समाचार पत्र ''दैनिक भास्कर–बारां संस्करण'' में सामाचार प्रकाशित हुआ है **''6 सालों से जंजीरों से बंधा है विक्षिप्त बालक, परिजनों को मदद की उम्मीद''**

प्रसारित समाचार के अनुसार '' छीपाबडौद तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बंजारी के मोतीपुरा गांव में पिछले छह वर्षों से 12 वर्षीय करणसिंह जंजीरों से बंधा हुआ है। मानसिक रोग से ग्रसित होने के कारण बालक का उपचार नहीं हो पाया और परिजन बालक को जंजीरों से बांध कर रखते है। ''

उपरोक्त प्रकाशित समाचार में एक बच्चे की फोटो प्रकाशित की गई है जिसमें बच्चा जंजीरों से बांध हुआ है यह बहुत ही हृदय विदारक है। सामाचार के अनुसार माता–पिता अपने ही 12 वर्षीय बालक को 6 साल से जंजीरों में बाध कर रख रहे है जो देखने एवं सुनने में भी मन को विचलित कर देने वाला है। किसी भी मानसिक रोगी को इस प्रकार बांध कर रखना घोर अमानवीय कृत्य की श्रेणी में आता है। निश्चित ही यह घटना स्थानीय स्तर पर चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन के संज्ञान में होगी परंतु चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई कार्यवाही क्यो नहीं की गई। चिकित्सा विभाग एवं प्रशासन इस संबंध में जवाब प्रस्तुत करें।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद–21 के तहत प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से जीवन जीने का अधिकार है। चूंकि मौजूदा मामले में एक 12 वर्षीय बालक को जंजीरों बांध कर रखे जाने का तथ्य समाचार पत्रों के माध्यम से आयोग के संज्ञान में आया है, जो कि निश्चय ही बालक के मानव अधिकारों का हनन है।

अतः प्रकाशित समाचार के विषय की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयोग इस पर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लेना उचित समझता है।

इस **आदेश की प्रतिलिपि जिला कलक्टर, बारां व जिला पुलिस अधीक्षक, बारां एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां** को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि वह प्रकरण के संबंध में जांच कर आगामी तारीख पेशी से पूर्व तथ्यात्मक रिपोर्ट आयोग के अवलोकनार्थ प्रेषित करेंगे।

प्रकरण में **आज ही नोटिस** जारी किया जावे एवं आदेश मय प्रकाशित समाचार की प्रतिलिपि के आज ही जरिये **फैक्स एवं ईमेल** संबंधित को प्रेषित की जावे।

पत्रावली दिनांक 21.09.2021 को पेश हो।

(न्यायाधिपति गोपाल कृष्ण व्यास)
अध्यक्ष

RJ